

बिहार सरकार,  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र5(2)बजट-(गैरयो0)-01/2015 76 (वर्ग 4) खाद्य,पटना-15, दिनांक- 15.03.16

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
नालंदा, जमुई, मुर्गेर, नवादा, औरंगाबाद, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, लखीसराय, मधेपुरा,  
शेखपुरा, सीवान, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, किशनगंज एवं कैमूर (भभूआ) ।

विषय:- मुख्य शीर्ष 3456 सिविलपूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन,  
मांग सं0-18 उपशीर्ष 0002 जिला प्रभार विपत्र कोड सं0 एन0- 3456000010002 गैर  
योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विषय शीर्ष 16 01- प्रकाशन एवं मुद्रण  
इकाई में 10,00,000 (दस लाख) रूपये मात्र के आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत उपबंधित राशि को वित्तीय वर्ष 2015-16 में  
विषय शीर्ष 16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण इकाई में प्रावधानित राशि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  
2013 के तहत संबंधित जिला पदाधिकारियों को संलग्न सूची की कॉलम- 03 के अनुसार कुल  
10,00,000 (दस लाख) रूपये मात्र आवंटित करते हुए इस राशि को वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0  
दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक 396/वि0 दिनांक 24.04.2015 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में  
नियमानुसार व्यय करने की अनुमति दी जाती है ।

2. यह राशि मुख्यशीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन  
उपशीर्ष 0002 जिला प्रभार, विपत्र कोड सं0 एन0- 3456000010002, मांग सं0 18 (गैर  
योजना), विषय शीर्ष 16 01 प्रकाशन मुद्रण इकाई के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में  
विकलनीय होगी ।
3. जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ अनुमंडल कार्यालय को अपने स्तर से उपआवंटन निर्गत  
करेंगे तथा इसकी सूचना विभाग एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भी देंगे ।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त  
विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि निकासी की गई राशि का उपयोगिता  
प्रमाण-पत्र विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करा देंगे । उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये  
जाने की स्थिति में व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः  
जिम्मेवार होंगे ।



6. विभागीय आदेश/ज्ञापांक सं०-8422 दिनांक 27.10.2015 के आलोक में आवंटन निर्गत किया जा रहा है ।
7. दिए गए आवंटन में सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै०यो०)-01/2015- 76 (एनएल) खाद्य,पटना-15, दिनांक- 15.03.16  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै०यो०)-01/2015- 76 (एनएल) खाद्य,पटना-15, दिनांक- 15.03.16  
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै०यो०)-01/2015- 76 (एनएल) खाद्य,पटना-15, दिनांक- 15.03.16  
प्रतिलिपि:-सभी संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै०यो०)-01/2015- 76 (एनएल) खाद्य,पटना-15, दिनांक- 15.03.16  
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी 05 एवं 06 तथा आई० टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।



बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड हेतु वित्तीय  
वर्ष 2015-16 में राशि का आवंटन ।

क्र० सं०	जिला कार्यालय का नाम	जिलों को आवंटन हेतु राशि
1	2	3
1	नालन्दा	100000 (एक लाख)
2	जमुई	50000 (पचास हजार)
3	मुंगेर	50000 (पचास हजार)
4	नवादा	50000 (पचास हजार)
5	औरंगाबाद	100000 (एक लाख)
6	पूर्वी चम्पारण	50000 (पचास हजार)
7	मधुबनी	100000 (एक लाख)
8	लखीसराय	50000 (पचास हजार)
9	मधेपुरा	50000 (पचास हजार)
10	शेखपुरा	50000 (पचास हजार)
11	सीवान	50000 (पचास हजार)
12	बेगूसराय	100000 (एक लाख)
13	मुजफ्फरपुर	50000 (पचास हजार)
14	समस्तीपुर	50000 (पचास हजार)
15	किशनगंज	50000 (पचास हजार)
16	कैमुर (भभुआ)	50000 (पचास हजार)
	कुल योग:-	1000000 (दस लाख)

10,00,000 (दस लाख रुपये) मात्र

*[Handwritten Signature]*  
सरकार के संयुक्त सचिव

*[Handwritten Signature]*